न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान रहम तुला खान बनाम राजस्थान सरकार
वाद–पत्र संख्या – 294/2025
निर्णय दिनांक ......12/11/25.........

रहम तुला खान पुत्र मदरू खां जाति कलाल निवासी ढाणी छतुसिंह तहसील तारानगर जिला चूरू
वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।
प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि गांव ढाणी छतुसिंह पटवार हल्का अलायला तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 99 के खसरा संख्या 579/213 की 0.8389 हैक्ट., एवं खाता सं. 55 के ख.नं. 213 तादादी 3.7303 हैक्ट., ख.नं. 314 तादादी 0.0632 हैक्ट., ख.नं. 259 तादादी 1.0748 हैक्ट., ख.नं. 275 तादादी 0.0253 हैक्ट. राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार दर्ज है। उक्त खसराजात कृषिभूमि की जमाबंदी में इंतकाल के समय कम्प्यूटर टाईप की गलती से वर्तमान राजस्व जमाबंदी में वादी रहमतअली पुत्र बदरूखां तथा निवास स्थान तारानगर दर्ज हो गया, जो गलत दर्ज हुआ है। जबकि वादी का सही नाम रहम तुला खान पुत्र मदरू खां तथा निवास स्थान ढाणी छतुसिंह तहसील तारानगर है। वादी का नाम उक्त दोनों जमाबंदियों में गलत दर्ज होने के कारण वादी को राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रही है। जिससे वादी को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिये वादी उक्त खसराजात की जमाबंदियों में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहती है। वादी के सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि दस्तावेजात में वादी का नाम रहम तुला खान पुत्र मदरू खां एवं निवास स्थान ढाणी छतुसिंह तहसील तारानगर अंकित है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि ढाणी छतुसिंह पटवार हल्का अलायला तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 99 के खसरा संख्या 579/213 की 0.8389 हैक्ट., एवं खाता सं. 55 के ख.नं. 213 तादादी 3.7303 हैक्ट., ख.नं. 314 तादादी 0.0632 हैक्ट., ख.नं. 259 तादादी 1.0748 हैक्ट., ख.नं. 275 तादादी 0.0253 हैक्ट. कृषि भूमि मे वादी का नाम रहम तुला खान पुत्र मदरू खां एवं निवास स्थान ढाणी छतुसिंह तहसील तारानगर दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारनगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने वादी रहमतअली पुत्र बदरूखां व रहम तुला खान पुत्र मदरू खां दोनो एक ही व्यक्ति के नाम एवं निवास स्थान ढाणी छतुसिंह तहसील तारानगर होना बताया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। वकील वादी द्वारा साक्ष्य करवाने हेतु समय चाहा गया है।

वाद पत्र के समर्थन में वकील वादी ने वादी रहम तुला खान पुत्र मदरू खां के बयान लेखबद्ध करवाये। साक्ष्य प्रतिवादी नहीं कराये गये।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादी के कथनों का गौर किया गया तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पहचान पत्र में वादी का नाम रहम तुला खान पुत्र मदरू खां निवास स्थानढाणी छतुसिंह पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रहमतअली पुत्र बदरू खां निवास स्थान तारानगर अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद

Rajendra

पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही ढाणी छतुसिंह पटवार हल्का अलायला तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 99 के खसरा संख्या 579/213 की 0.8389 हैक्ट., एवं खाता सं. 55 के ख.नं. 213 तादादी 3.7303 हैक्ट., ख.नं. 314 तादादी 0.0632 हैक्ट., ख.नं. 259 तादादी 1. 0748 हैक्ट., ख.नं. 275 तादादी 0.0253 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी का नाम रहमतअली पुत्र बदरूखां एवं निवास स्थान तारानगर **Delete** कर इसके स्थान पर वादी का नाम रहम तुला खान पुत्र मदरू खां एवं निवास स्थान ढाणी छतुसिंह तहसील तारानगर अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....12/11/25.... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)